भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 39

04.12.2023 को उत्तर के लिए

जैव विविधता अधिनियम, 2002

39. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 में यथा अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) उन स्थलों का विवरण क्या है जिन्हें उनमें निहित कृषि-विविधता की समृद्ध संपदा के कारण अधिसूचित किया गया है जैसा कि देश के कई हिस्सों में है;

(ग) क्या सरकार के पास समृद्ध कृषि-विविधता की रक्षा के लिए ऐसे और अधिक स्थलों को चुनने और अधिसूचित करने की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकार के पास बीज संरक्षण कार्य में लगे किसानों की सहायता के लिए कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) : जैव-विविधता विरासत स्थल जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत मान्यता प्राप्त एक विशिष्ट संरक्षण दृष्टिकोण है। जैव-विविधता विरासत स्थलों में समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है जिसमें, मनुष्यों के साथ उनका दीर्घकाल से संबंध रखने वाले या नहीं रखने वाली, जंगली जीव-जंतुओं के साथ-साथ पालतू प्रजातियां; अत्यधिक स्थानिकता वाली प्रजातियां; दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां, प्रमुख प्रजातियां, विकासात्मक महत्व की प्रजातियां, पालतू/संवर्धित प्रजातियों की पूर्वज जंगली प्रजातियां; जीवाश्म समूह; सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए उनके सांस्कृतिक, नैतिक एवं सौंदर्य-मूलक मूल्य शामिल हैं।

जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 (1) के अनुसार, राज्य सरकार समय-समय पर स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करके जैविक विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव-विविधता विरासत स्थलों के रूप में शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

अब तक, सोलह (16) राज्यों द्वारा चौवालीस (44) जैव-विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया गया है। इन स्थलों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ड.) : भारत सरकार जनजातीय उप-योजना, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र और अनुसूचित जाति उप-योजना के माध्यम से किसानों द्वारा अभिज्ञात फसल प्रभेदों के बीजों और भूमि के प्रकारों सहित पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा कर रही है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा (असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित सात राज्यों में) स्वयं सहायता समूहों तथा कृषक उत्पादक संगठनों को शामिल करके किसानों द्वारा अभिज्ञात की गई विभिन्न प्रकार की फसलों के कुल 233 सबसे उपयुक्त प्रभेदों को खेत में कृषि, मूल्य श्रृंखला तथा विपणन के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, पादप प्रभेद संरक्षण और कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएफआर) अधिनियम, 2001 की धारा 39 (1) (iv) के तहत, पीपीवीएफआर प्राधिकरण प्रति वर्ष उन किसानों/कृषक समुदायों, जो पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण कार्य में शामिल हैं, को पुरस्कार, पारितोषिक और मान्यताएं प्रदान करता है।

प्लांट जीनोम सेवियर सामुदायिक पुरस्कार पांच कृषक समुदायों को प्रदान किया जाता है और प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र के साथ 10.00 लाख रूपए की धनराशि प्रदान की जाती है। प्लांट जीनोम सेवियर कृषक पारितोषिक दस किसानों को प्रदान किया जाता है और प्रत्येक पारितोषिक में 1.50 लाख रूपए की धनराशि दी जाती है। प्लांट जीनोम सेवियर कृषक मान्यता बीस किसानों को प्रदान की जाती है और इसमें प्रत्येक किसान को 1.00 लाख रूपए की धनराशि दी जाती है।

अब तक, 41 प्लांट जीनोम सेवियर सामुदायिक पुरस्कार, 67 प्लांट जीनोम सेवियर कृषक पारितोषिक और 84 प्लांट जीनोम सेवियर कृषक मान्यता प्रदान किए गए हैं।

*****

अनुबंध

क्रम सं.	जैव-विविधता विरासत स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जिला और राज्य
1.	मजुली नदी द्वीप	87500	मजुली, असम
2.	वोर्जुली वाइल्ड राइस साइट	0.41	सोनितपुर, असम
3.	हलौंग कछुआ झील	526.78	दिमा हसाव, असम
4.	पूर्वताली राय	0.73	उत्तरी गोवा, गोवा
5.	सुरल भटोरी मठ में पवित्र उप-वन	0.6	चंबा, हिमाचल प्रदेश
6.	हाइ अल्टिच्यूड मीडो, हुडान भटोरी	8.74	चंबा, हिमाचल प्रदेश
7.	बर्च-पाइन फॉरेस्टे पैच, नयन महर	12.22	लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश
8.	नल्लूर टैमरिंड ग्रोव्स	21.85	बेंगलूरु, कर्नाटक
9.	होग्रीकन	1015	चिकमंगलूर, कर्नाटक
10.	कृषि विज्ञान विश्व विद्यालय, जीकेवीके कैम्पस	167	बेंगलूरु, कर्नाटक
11.	अंबरागुडा	3857.17	शिमोगा, कर्नाटक
12.	आश्रमम	57.33	कोल्लम, कर्नाटक
13.	नारो हिल्स	200	सतना, मध्य प्रदेश
14.	पाताल कोट	8367.49	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
15.	अरमकंटक	7681.5	अमरकंटक, मध्य प्रदेश
16.	ग्लोरी आफॅ अल्लपल्ली	6	गडचिरोली
17.	बंबार्डे मिरिस्टिका स्वैम्प	2.59	डोडामार्ग, महाराष्ट्र
18.	गणेशखिंड गार्डन	33.01	पुणे, महाराष्ट्र
19.	लैंडोरखोरी	8.08	जलगांव, महाराष्ट्र
20.	सिस्टुरा हिरण्यकेशी	2.11	सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र
21.	डायलौंग गांव	11.35	टमेनग्लौंग, मणिपुर
22.	खलॉकुरसियम किमलेंग	16.05	रि-भोई, मेघालय
23.	मंडासारु	528	कंधमाला
24.	महेन्द्रगिरि	4250	गजपति, महाराष्ट्र
25.	गंधमर्दन हिल	1864	बोलांगिर और बारगढ़, महाराष्ट्र
26.	डंगक्योंग ढो	0.0650	उत्तरी सिक्किम, सिक्किम
27.	अरिट्टापट्टी	193.215	मुदुरै, तमिलनाडु
28.	अमीनपुर झील	229.05	संगारेड्डी, तेलंगाना
29.	घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र	10	लखनऊ,उत्तर प्रदेश
30.	बरामुरा जल प्रपात	150	खोवई, त्रिपुरा
31.	उनाकोटी	40	उनाकोटी, त्रिपुरा
32.	सिलचरी गुफा	100	गोमती, त्रिपुरा
33.	डेब्बारी या चबिमुरा	215	गोगती, त्रिपुरा
34.	बेटलिंगशिव और उसके आस-पास टोंगलू	350	उत्तरीजिला, त्रिपुरा
35.	टोंगलू	230	दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल

36.	ढोट्रे	180	दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल
37.	चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग	22.62	झारग्राम, पश्चिम बंगाल
38.	राज्य बागवानी अनुसंधान और विकास केन्द्र	39.61	नाडिया, पश्चिम बंगाल
39.	चार बलिडंगा	46.862	नाडिया, पश्चिम बंगाल
40.	अमखोई वुड फॉसिल पार्क	100.667	बीरभूम, पश्चिम बंगाल
41.	बनेश्वर शिवा दिची	0.667	कूच बिहार, पश्चिम बंगाल
42.	नमथिंग पोखरी	4.819	दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल
43.	बिरामपुर-बगुराज जलपाई	95.91	पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल
44.	हल्दिर चार द्वीप	4.73	पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल